संख्या-83/2026/1486-001-5-9099-67-2025

प्रेषक,

रवि रंजन
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 09 सितम्बर, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत आय-व्ययक के अनुदान संख्या-35 के मुख्य लेखाशीर्षक-2211-परिवार कल्याण (राजस्व व्यय) हेतु प्राविधानित धनराशि के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनुपूरक/स्वीकृति/2026-27/1482, दिनांक 20.08.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुपूरक बजट में अनुदान संख्या-35 के मुख्य लेखाशीर्षक 2211-परिवार कल्याण (राजस्व व्यय) हेतु प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 425.00 लाख (रूपये चार करोड पच्चीस लाख मात्र) को उपशीर्षकवार एवं मानक मदवार चालू योजनाओं पर व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. यह सुनिश्चित किया जाय कि उपर्युक्त वर्णित धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. चालू योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मॉग (एस0एन0डी0) से सम्बन्धित कार्यों/मदों पर कदापि न किया जाय।
3. स्वीकृत व्यय को पूरा करने के लिये धनराशियों का विनियोग बजट मैनुअलक के सुसंगत नियमों तथा विगत विभाग के आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। यहॉ स्पष्ट करना है कि आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशियों का प्रदेशन (एलॉटमेंट) ही किसी भी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
4. यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि के प्रत्यके बिल में चाहें वह वेतनादि के सम्बन्ध में अथवा आकस्मिक व्यय, सम्पूर्ण, लघु, उप एवं विस्तृत शीर्षकों को अंकित किया जाये तथा प्रत्येक बिल पर दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या अवश्य लिखा जाए अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही पुस्तांकन में बाधा होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. स्वीकृत धनराशि का समय से सदुपयोग सुनिश्चत करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयान्तर्गत पूर्ति सुनिश्चत करने हेतु यथावश्यक धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल आवंटित कर शासन को अवगत कराया जाय।
6. विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-15-94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता में सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समयपर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैडन्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
8. उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 के अन्तर्गत नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, इस बात को सुनिश्चत करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। इसलिये नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चत करते हुये इससे सम्बन्धित रिपोर्ट अनुश्रवण हेतु शासन को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
9. निर्गत किये जा रहे शासनादेश में उल्लिखित समस्त व्यय, सुसंगत लेखाशीर्षकों, जिसका उल्लेख शासनादेश में हुआ है, के नामे डाला जायेगा।
10. उपर्युक्त स्वीकृति के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2211000010102 (राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (के.60/रा.40-के+रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	035	2211000010102 राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (के.60/रा.40-के+रा.)	10 जलकर / जल प्रभार	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
2	035	2211000010102 राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (के.60/रा.40-के+रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	035	2211000010102 राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (के.60/रा.40-के+रा.)	42 अन्य व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
4	035	2211000010102 राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो (के.60/रा.40-के+रा.)	58 आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**1,05,00,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				(रुपये एक करोड़ पाँच लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2211001010101 (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थित ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र (के.60/रा.40-के.+रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	035	2211001010101 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थित ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र (के.60/रा.40-के.+रा.)	42 अन्य व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**20,00,000** **(रुपये बीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2211001020102 (स्थानीय निकायों और स्वायत्त द्वारा संचालित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र संगठनों)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	035	2211001020102 स्थानीय निकायों और स्वायत्त द्वारा संचालित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र संगठनों	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**3,00,00,000** **(रुपये तीन करोड़ मात्र)**

महायोग	4,25,00,000 (रुपये चार करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रवि रंजन

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-83/2026/1486(1)-001-5-9099-67-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. वित्त (व्ययव-नियंत्रण) अनुभाग-3.
5. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, चिकित्सा, सचिव शाखा, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाईल/समन्वय सहायक।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।